

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 21 / 2024(पुरानी-33 / 2020)

प्रविष्टि दिनांक:- 13.03.2024(पुरानी-16.03.2020)

निर्णय दिनांक :- 03.12.2024

::-उनवान-::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री पुखराज पारीक पुत्र श्री श्याम सुन्दर पारीक निवासी ग्राम पो0 दत्तोब तह0 टोडारायसिंह जिला केकड़ी एफ.बी.ओ. मैसर्स पवन स्वीट्स एण्ड बैकरी चुंगी नाका टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
2. मैसर्स पवन स्वीट्स एण्ड बैकरी चुंगी नाका टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
3. श्री अजय कुमार रामपुरिया पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार रामपुरिया निवासी जतिजी के मंदिर के पास मालपुरा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स अजय एन्टरप्राइजेज जतिजी के मंदिर के पास मालपुरा जिला टोंक
4. मैसर्स अजय एन्टरप्राइजेज जतिजी के मंदिर के पास मालपुरा जिला टोंक
5. श्री भरत कुमार सुखीजा निवासी 11/622, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर राज0 नॉमिनी मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लि0 एफ/196-199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर राज0 पिनकोड-334006।
6. मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लि0 एफ/196-199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर राज0 पिनकोड-334006।

- अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :

- (1) परोकार सरकार उपस्थित।
- (2) विपक्षीगण अधिवक्ता नवल किशोर पारीक उपस्थित।

::-निर्णय-::

दिनांक: 03.12.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.10.2019 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स पवन स्वीट्स एण्ड बैकरी चुंगी नाका

टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराइटर श्री पुखराज पारीक पुत्र श्री श्याम सुन्दर पारीक निवासी ग्राम पो0 दत्तोब तह0 टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर खाद्य पदार्थ मिठाई, नमकीन व सोन पपड़ी(बीकाजी ब्राण्ड) का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पुखराज पारीक ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री पत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।


2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में मिठाई, नमकीन के साथ-साथ दुकान की रैक में 450 ग्राम पैक के लगभग 80 पैकेट पैकड अवस्था में सोन पपड़ी (मनभावन बीकाजी ब्राण्ड) रखा हुआ था। इस सोन पपड़ी (मनभावन बीकाजी ब्राण्ड) का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री पुखराज पारीक पुत्र श्री श्याम सुन्दर पारीक को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री पुखराज पारीक पुत्र श्री श्याम सुन्दर पारीक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।
3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान की रैक में 450 ग्राम पैक के लगभग 80 पैकेट पैकड अवस्था में सोन पपड़ी (मनभावन बीकाजी ब्राण्ड) के बैच नम्बर बी19आई79 एवं पैकिंग की दिनांक 21.09.2019 थी, को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 450 ग्राम पैक के 4 मूल पैक पैकेट वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री पुखराज पारीक पुत्र श्री श्याम सुन्दर पारीक को रु 400/- अक्षरे चार सौ चालीस रुपये नगद देकर रशीद प्राप्त की जिस पर श्री पुखराज पारीक के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।
4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सोन पपड़ी (मनभावन बीकाजी ब्राण्ड) की खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक 450 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों एक-एक पैकेट को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2399 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मनोज पाटीदार तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-2399 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री पुखराज पारीक एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने श्री पुखराज पारीक को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।
6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2658 दिनांक 11.12.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2828/एक्ट/2019/2358 दिनांक 28.11.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया सोन पपड़ी (मनभावन बीकाजी ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)के अनुसार मिथ्याछाप (**MisBranded**) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
7. हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सोन पपड़ी (मनभावन बीकाजी ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (**MisBranded**) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 श्री पुखराज पारीक पुत्र श्री श्याम सुन्दर पारीक, अप्रार्थी सं0 3 श्री अजय कुमार रामपुरिया पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार रामपुरिया व अप्रार्थी सं0 5 श्री भरत कुमार सुखीजा के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 1 पर कुल शास्ति रूपये 1500/- (अक्षरे पन्द्रह सौ रूपये), अप्रार्थी सं0 3 पर कुल शास्ति रूपये 8,000/- (अक्षरे आठ हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं0 5 पर कुल शास्ति रूपये 8,000/- (अक्षरे आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.12.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(चन्द्रशेखर भण्डारी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकडी